पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

क/पुमु/22/8/15–1/1391/2024, भोपाल, दिनांक– 30/10/2024

प्रति,

समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त सेनानी
मध्य प्रदेश

विषयः– पुलिस की अशासकीय गतिविधियों में कैशलेस भुगतान प्रारंभ करने के संबंध में।

––00––

पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन वर्ष 2016 में सभी पुलिस संगठनों को अधिक से अधिक कैशलेस को बढावा दिये जाने की अनुशंसा की गई थी, इसके पश्चात गृह मंत्रालय के द्वारा के.पी.के.बी. के लेन देन में जी.एस.टी. में 50 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के साथ ही 100 प्रतिशत कैशलेस भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है और यह सभी इकाईयों में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

2– म0प्र0 की कई इकाईयों के पेट्रोल पम्पों में गम्भीर गबन की घटनाएँ सामने आई है जिसका फॉरेन्सिक ऑडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाईयों द्वारा नगद लेन–देन करना एवं संव्यवहार का लेखा–जोखा का संधारण न करना पाया गया है। श्री हितेश चौधरी सेनानी, 7वी वाहिनी विसबल भोपाल द्वारा उनके इकाई के पेट्रोल पम्प में 01 मई 2024 से नगद लेन–देन को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके आशानुरूप परिणाम सामने आए हैं। अतः लेनदेन और इंवेंटरी में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सटीकता सुनिश्चित करने हेतु निम्न गतिविधियों में 15 नवंबर 2024 से सामान्य नगद लेन–देन को बंद करने का निर्णय लिया गया हैः–

i– पुलिस कल्याण पेट्रोल पम्प

ii– पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र

iii– एल.पी.जी. गैस

iv– सुपर बाजार

v- पुलिस परिसरों की साफ–सफाई व्यवस्था

vi- अन्य गतिविधि जिनका वार्षिक टर्नऑवर 6 लाख से अधिक है।

3– उपरोक्त गतिविधियों में कैशलेस/नगद लेन–देन करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी–

3.1– पुलिस कल्याण की उपरोक्त गतिविधियों में डिजिटल भुगतान एवं पावती की पर्याप्त व्यवस्था की जाए जैसे कि– Q.R. Code, UPI, POS मशीन आदि। ताकि किसी भी डिजिटल माध्यम से ग्राहक को भुगतान करने में समस्या उत्पन्न न हो।

3.2– 15 नवंबर 2024 से उपरोक्त गतिविधियों में सामान्य बिक्री डिजिटल माध्यम से किया जाएगा अपवाद स्वरूप प्रकरण विशेष में नगद राशि प्राप्त की जा सकेगी परन्तु 1 जनवरी 2025 के पश्चात नगद लेन–देन पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगा। उपरोक्त अवधि में किसी ग्राहक के पास डिजिटल साधन न होने पर भी उससे नगद राशि प्राप्त कर पेट्रोल/अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3– 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक नगद बिक्री में ग्राहक का नाम व मोबाइल नम्बर भी रसीद के साथ लेख किया जाएगा।

3.4– 15 नवंबर से 31 दिसम्बर के मध्य में इकाई प्रभारी स्वयं या अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से नगद बिक्री की रोजाना समीक्षा करते रहेंगे, ताकि नगद बिक्री में लगातार कमी आ सके एवं उनका लेखा–जोखा रखा जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

3.5— नगद लेन—देन को प्रतिबंधित करने के लिए इन सभी गतिविधियों के सामने सूचना पटल लगा दिये जाए ताकि 15 नवंबर 2024 से सामान्यतः नगद लेन—देन बंद किया जाएगा।

3.6— पचमढ़ी में एक मात्र पुलिस पेट्रोल पम्प होने के कारण नगद प्राप्ति को बंद नहीं किया जाएगा परन्तु पेट्रोल पम्प से सभी भुगतान चैक/डिजिटल माध्यम से ही किये जाऐंगे। वहॉ के पेट्रोल पम्प के नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

3.7— 15 नवंबर 2024 से उपरोक्त गतिविधियों में कार्य करने वाले कर्मियों का भुगतान सेवाओं के बदले एवं क्रय की जा रही सामग्री का भुगतान पूर्णतः चैक/डिजिटल माध्यम से किया जाएगा तथा इसमें कोई भी अपवाद किसी भी स्तर पर नहीं रखा जाएगा। यानी उपरोक्त गतिविधियों में 15 नवंबर 2024 से भुगतान पूर्णतः डिजिटल रहेगा भले ही ग्राहकों से राशि नगद में 31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त किया जा सकेगा।

3.8— सभी इकाई प्रमुख 15 नवंबर के पश्चात हर 15 दिन पर 1 दिसम्बर एवं 1 जनवरी की स्थिति में इन उपरोक्त गतिविधियों में नगद लेनदेन डिजिटल लेनदेन का ब्यौरा कल्याण शाखा को प्रेषित करेंगे, तत्पश्चात नगद लेनदेन की व्यवस्था बंद होने के बाद इसे भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

उपरोक्त कंडिका—2 में दर्शित पुलिस कल्याणकारी गतिविधियों में कैशलेस संव्यवहार करने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

अनिल कुमार (भापुसे)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(कल्याण/लेखा), पुमु भोपाल

क/पुमु/22/8/15—1/1391/2024, भोपाल, दिनांक—30/10/2024

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः—

1— समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, म0प्र0
2— समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन/रेंज (वि0स0बल सहित) मध्य प्रदेश।
3— समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज (वि0स0बल सहित) मध्य प्रदेश।

30.X.24

अनिल कुमार (भापुसे)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
(कल्याण/लेखा), पुमु भोपाल

Scanned with OKEN Scanner